



Regional Office

# Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : [rorpcb.bundi@gmail.com](mailto:rorpcb.bundi@gmail.com)



No. RPCB/RO Bundi/PUB-146/1359

Date: 09/10/25

M/s Yashoda Enterprises,

C/o. Aayush Rawat, R/o A-06, Ram Vihar Colony, Behind Rajawat Farm,  
Kalyanpura, Mansarovar, Sanganer, Jaipur, Rajasthan,  
PIN 302020, (Email- ayushbana09rawat@gmail.com)

Sub: Regarding conducting public hearing for environmental clearance for proposed Granite Mining Project of M/s Yashoda Enterprises, Plot No. -57 Bajri Plot No. 17, Area -62.9594 Hectare. Proposed Production Capacity 22,66,538.40 TPA(ROM), Dodawari & Mundiya, Tehsil – Peeplu, District –Tonk (Raj.)

Ref: Office of District Collector and District Magistrate, Tonk letter no. 20500 dated 01.08.2025, letter no. 32440 dated 26.09.2025 and letter no. 32747 dated 09.10.2025.

Sir,

With reference to above, it is to inform you that Office of District Collector and District Magistrate, Tonk vide letter no. 32747 dated 09.10.2025 has rescheduled Public Hearing on date 25.10.2025 time 11:00 AM at Rajeev Gandhi Sewa Kendra, Panchayat Simiti-Peeplu, Tehsil-Peeplu, District-Tonk.

Kindly find enclosed a Public Notice to be published in the same one major National Daily Newspaper and One Regional Vernacular Daily Newspaper/ Official State Language News papers before 15 days of Public Hearing date as per provision of MoEF & CC, New Delhi notification dated 14.09.2006, amendment dated 09.05.2022 and amended time to time.

The newspaper cuttings are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at place **Rajeev Gandhi Sewa Kendra, Panchayat Simiti Peeplu, Tehsil-Peeplu, District-Tonk** at **11:00 AM on date 25.10.2025**.

Yours sincerely

Encl :- As above

Regional Officer,  
RSPCB, Bundi

Copy to following for information:-

1. District Collector, District Tonk.
2. Director, Environment Department, Rooms Number 8240, Second Floor, U-P (SSO) Building, Secretariat, Jaipur.
3. Regional Office, Ministry of Environment Forest and Climate Changes, Government of India. A-218, Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur 302004.
4. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur.
5. Additional District Magistrate, Tonk, District Tonk.
6. Chief Executive Officer, Zila Parishad, District Tonk.
7. General Manager, District Industrial Center, District Tonk.
8. B.D.O., Panchayat Samiti, Peeplu, Tehsil-Peeplu, District Tonk.
9. Assistant Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Tonk.
10. Gram Panchayat, Dodawari, Tehsil-Peeplu, Distt.-Tonk.
- ✓ 11. ACP RSPCB, Jaipur with request to upload on Board's website.

17/10/2025



Regional Officer,  
RSPCB, Bundi



Regional Office

# Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : [rorpcb.bundi@gmail.com](mailto:rorpcb.bundi@gmail.com)



No. RPCB/RO Bundi/PUB-146/1347

Date: 09/10/25

## पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स यशोदा एन्टरप्राइजेज, प्लॉट सं 57 बजरी प्लॉट नं. 17, खनन क्षेत्र 62.9594 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 22,66,538.40 TPA (ROM) निकट ग्राम डोडवाडी एच मूडिया, तहसील-पीपलू, जिला-टोंक रिवर सैंड (बजरी) माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.09.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, पीपलू, तहसील-पीपलू, जिला-टोंक में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/20500 दिनांक 01-08-2025 द्वारा नियत की गई थी। जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-146/967 दिनांक 07.08.2025 द्वारा जारी कर दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 19.08.2025 व टोंक भास्कर में दिनांक 19.08.2025 को प्रकाशित की गयी थी।
- चूँकि, उक्त जन सुनवाई कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/ न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32440 दिनांक 26.09.2025 द्वारा अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, जिसकी आम सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक RPCB/RO Bundi/PUB-146/1255 दिनांक 26.09.2025 द्वारा जारी कर वही दैनिक अखबार द इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 28.09.2025 व टोंक भास्कर में दिनांक 28.09.2025 को प्रकाशित की गयी।
- चूँकि कार्यालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक/ न्याय/पर्यावरण जन सुनवाई/2025/32747 दिनांक 09.10.2025 द्वारा उक्त परियोजना हेतु जन सुनवाई पुनः नियत की गयी है।
- चूँकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का आ.1533 (अ) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या का आ.2163(अ) दिनांक 09.05.2022 समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में पुनः नियत की गयी जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
  - कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
  - कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
  - कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
  - पंचायत समिति, पीपलू, तहसील-पीपलू, जिला-टोंक।
  - कार्यालय ग्राम पंचायत, डोडवाडी, तहसील पीपलू, जिला-टोंक।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना सरथानिक क्षेत्र, जयपुर।
  - सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  - निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला-बून्दी।
  - कार्यालय सहायक खनि. अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जिला-टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32747 दिनांक 09.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.2025 (शनिवार) को राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, पीपलू, तहसील-पीपलू, जिला-टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित आपत्ति/आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवनिया  
(सिधू कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रा.प्र.नि.म. बून्दी